प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के अनुरूप की गई है।

इस प्रतिवेदन में उपभोक्ताओं को उनके आधार संख्या, बैंक खाते तथा एलपीजी उपभोक्ता आईडी के साथ जोड़कर प्रत्यक्ष रूप से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) पर आर्थिक सहायता के हस्तांतरण हेतु नवम्बर 2014 में भारत सरकार द्वारा जारी 'प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना (पहल (डीबीटीएल) योजना) के कार्यान्वयन' की लेखापरीक्षा के परिणाम निहित है। योजना को भारत सरकार की तीन तेल विपणन कम्पनियों अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा कार्यान्वित किया गया है। योजना में तीन तेल विपणन कम्पनियों के 16,781 एलपीजी वितरकों द्वारा सेवा प्रदत 16.17 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता सम्मिलित है। योजना के महत्व तथा इसके व्यापक प्रभाव को देखेते हुए, इसके कार्यान्वयन पर एक लेखापरीक्षा की गई।

प्रतिवेदन में पहल (डीबीटीएल) योजना के क्रियान्वयन में देखे गए कुछ मामलों को दर्शाया तथा योजना के वित्तीय प्रभाव की चर्चा भी की गई है।

लेखापरीक्षा तीन तेल विपणन कम्पनियों (बीपीसीएल, एचपीसीएल तथा आईओसीएल) तथा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा को पूरा करने में अभिलेखो, सूचना तथा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में दिए सहयोग का आभार व्यक्त करती है।